न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 2/2021/दावा

1. रामलाल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति डाकोत (भार्गव) निवासी ख्वाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत उद्‌घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत् वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — 19.01.2021**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2848, 2849, 2850 किता 3 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार है। वादी के जन्म के पश्चात बाल्य अवस्था में वादी को घर में प्यार से माता पिता व दादा दादी एवं अन्य परिवारजन द्वारा रामुराम के नाम से पुकारना शुरू कर दिया तथा बाल्य अवस्था में घर में रामुराम के नाम से पुकारने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामुराम दर्ज करवा दिया गया। तत्पश्यात वादी का नाम समानजनक नहीं होने के कारण अन्य सरकारी रिकार्ड में समानजनक नाम रामलाल दर्ज करवा दिया गया जबकि रामुराम व रामलाल दोनो नाम मुझ वादी एक ही व्यक्ति के ही हैं। इस प्रकार वादी के अन्य सरकारी रिकार्ड व अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक डायरी आधार कार्ड आदि में वादी का नाम रामलाल बदस्तुर अंकित चला आ रहा है। वादी के रामूराम नाम की अन्य कोई भाई नहीं है। उपरोक्त भूमियों वादी का नाम रामुराम दर्ज है जो कि उपरोक्त वजह से सहवन से दर्ज चला आ रहा है जबकि अन्य समस्त दस्तावेजात व रिकार्ड में वादी का नाम रामलाल दर्ज है इसलिए वादी का

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में भिन्न होने के कारण वादी अपने हिस्से की खातेदारी की भूमि को विकसित करने की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम रामलाल दर्ज करवाने की उद्घोषणा की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम की उद्घोषणा रामलाल किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वाद कारण आज से करीब 10 रोज पूर्व वादी द्वारा अपनी भूमि को विकसित करने के लिए बैंक से किसान केडिट कार्ड से ऋण लेने की कार्यवाही हेतु बैंक में जाने पर भिन्न नाम होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती होने के पश्चात ही किसान केडिट कार्ड से ऋण देने एवं रिकार्ड में दुरूस्ती करवाये बिना किसान केडिड कार्ड से ऋण नहीं मिलने के कारण उत्पन्न हुआ जो कि वाद कारण क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रूप से जारी है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 2848, 2849, 2850 किता 3 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम रामुराम पुत्र बद्रीप्रसाद के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम रामलाल पुत्र बद्रीप्रसाद दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम रामुराम पुत्र बद्रीप्रसाद के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम रामलाल पुत्र बद्रीप्रसाद दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि जमाबन्दी सं. 2076–79 में खाता सं. 819 में नाम रामुराम पुत्र बद्रीप्रसाद हिस्सा 1/15 जाति डाकोत सा0 देह खातेदार दर्ज है खाते पर किसी प्रकार का स्थगन नहीं हैं। जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज जन आधार

उपखण्ड अधिकारी, दांता...

कार्ड पहचान पत्र भामाशाह आदि में नाम रामलाल दर्ज है। प्रार्थी का नाम रामूराम पुत्र बद्रीप्रसाद के स्थान पर रामलाल पुत्र बद्रीप्रसाद दर्ज किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा** 2848, 2849, 2850 किता 3 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज वादी का नाम रामुराभ पुत्र बद्रीप्रसाद के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम रामुराम उर्फ रामलाल पुत्र बद्रीप्रसाद दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
ब्अपरस ख्वबमकनतम ब्वकमए ।चचमदकपग श्क्ष 1द्ध

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

रामलाल बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 2 / दावा सन् 2021 निर्णय दिनांक. 19.01.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री राजेन्द्रसिह शेखावत** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा** 2848, 2849, 2850 किता 3 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में खातेदार वादी का नाम रामूराम पुत्र बद्रीप्रसाद के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर रामुराम उर्फ रामलाल पुत्र बद्रीप्रसाद संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष** जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.01.2021 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत, ओहदा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	CO	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	CO	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफरिक	0	00
मुतफरिक	8	CO		0	00
मीजान	15	CO	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ